महत्वपूर्ण

संख्या-1276-प्रो0/51-2011-20(52)/2010

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय(प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2011

विषय :- मा0 उप सभापति राज्य सभा को राज्य अतिथि घोषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उप सभापति राज्य सभा को उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली, 2011 के प्रस्तर-15 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासकीय कार्य से प्रदेश में पधारने पर राज्य अतिथि घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतएव मा0 उप सभापति राज्य सभा के प्रदेश भ्रमण के दौरान उनके प्रवास, भोजन व परिवहन की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। यह व्यवस्था अधिकतम चार दिन के लिए अनुमन्य होगी। सुरक्षा व्यवस्था शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार सम्पन्न की जायेगी।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
सचिव।

संख्या-1276(1)-प्रो0/51-2011-20(52)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप सभापति, राज्य सभा, संसद भवन, नयी दिल्ली
2- संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, कमरा नं0-525, संसद भवन, एनेक्सी, नयी दिल्ली।
3- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश शासन।

-2-

5- स्थानिक आयुक्त, उ0 प्र0 नयी दिल्ली ।
6- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
9- अनुभाग अधिकारी, सचिवालय नियंत्रण कक्ष, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
उप सचिव।